(22)

पत्र संख्या–सं0का01/संकल्प–4012/2006–.869.

# बिहार सरकार

## मंत्रिमंडल सचिवालय (संसदीय कार्य) विभाग

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त/
सभी जिलापदाधिकारी/सभी आरक्षी महानीरिक्षक/सभी उप महानीरिक्षक/
सभी आरक्षी अधीक्षक।

पटना, दिनांक– ..11.... सितम्बर, 2006

*विषय : माननीय सांसदों/विधायकों/पार्षदों से व्यक्तिगत मुलाकात, दूरभाष पर वार्त्ता एवं उन्हें सौजन्यता प्रदर्शन करने के संबंध में।*

महाशय,

आप भलीभांति अवगत हैं कि "संसदीय प्रजातांत्रिक प्रणाली में विधायिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।" विधायिका राजकीय कार्यों की दिशा निर्धारित करती है तथा कार्यपालिका को तद्नुरूप कल्याणकारी कार्यों के निष्पादन हेतु प्रेरित करती है। इस तरह लोकतंत्र में माननीय सांसदों/विधायकों/पार्षदों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी गयी है। वे विभिन्न विधायी कार्यों, यथा विधायन, बजट उपस्थान, लोक महत्व के मुद्दे पर वाद–विवाद, प्रश्न, आश्वासन, ध्यानाकर्षण आदि के माध्यम से प्रशासन को लोकतंत्र की मान्यताओं के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। अपने संसदीय दायित्वों तथा तत्संबंधी अन्य कर्तव्यों के निर्वहन हेतु उनके द्वारा राज्य सरकार, प्रमण्डल अथवा जिला प्रशासन से अपेक्षित सूचनाओं की मांग की जाती है एवं सुझाव दिये जाते हैं अथवा व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु अनुरोध किया जाता है।

माननीय सांसदों/विधायकों से प्राप्त पत्र की सूचना भेजने, पत्र का उत्तर देने तथा उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किये जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर कई अनुदेश निर्गत किये गये हैं। इस वर्ष विधान मण्डल की बजट सत्र में श्री महाचन्द्र प्रसाद सिंह, माननीय सदस्य, विधान परिषद् द्वारा निम्नलिखित अभिस्ताव किया गया था :–

"राज्य सरकार पटना सचिवालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के उच्च पदाधिकारियों को माननीय विधायकों एवं अन्य जन प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत मुलाकात तथा दूरभाष पर बात करने हेतु समय का निर्धारण करे।"

इसके परिप्रेक्ष्य में पत्रांक–199 दिनांक–23.03.2006 के द्वारा माननीय विधायकों एवं अन्य जन प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत मुलाकात करने के लिए सुविधानुसार सप्ताह में एक दिन निर्धारित करने का निदेश दिया गया। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि अन्य दिनों में माननीय सांसदों/विधायकों से पदाधिकारीगण मुलाकात नहीं करेंगे।

सरकार को जन प्रतिनिधियों से बराबर शिकायत प्राप्त हो रही है कि पदाधिकारीगण, विशेष कर क्षेत्रीय पदाधिकारियों के द्वारा सरकार के अनुदेशों का सम्यक

C:\My Documents\Chief Secretary.doc

(21)

अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उनके पत्रों की प्राप्ति सूचना या तो दी ही नहीं जाती है, यदि दी जाती है, तो विलम्ब से। साथही, उनके पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर की गई कार्रवाई के संबंध में उन्हें सूचना नहीं दी जाती है। उपरोक्त बिन्दुओं पर सम्यक विचार करते हुए सरकार ने निम्नलिखित अनुदेश जारी करने का निदेश दिया है :-

(क) माननीय सांसदों/विधायकों/पार्षदों द्वारा जब कोई पत्र भेजा जाता है तो ऐसे पत्र की प्राप्ति की सूचना उन्हें पन्द्रह दिनों के अन्दर भेजी जाय तथा पत्र में उल्लिखित विषयों पर तत्परतापूर्वक समुचित कार्रवाई की जाये। इसके उपरान्त अगले पन्द्रह दिनों के अन्दर उस पर कार्रवाई कर कृत कार्रवाई से संबंधित सांसदों/विधायकों/पार्षदों को अवगत करा दिया जाय।

(ख) सभी विभागों/सभी विभागाध्यक्षों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सांसदों/विधायकों/पार्षदों से प्राप्त पत्रों के लिए अलग-अलग पंजी रखी जाय। उनके पत्र की प्राप्ति सूचना एवं उत्तर पत्र द्वारा दिया जाय, जिसकी संख्या एवं तिथि उसी पंजी में सुलभ निदेश हेतु अंकित कर ली जाय।

(ग) सरकार का प्रत्येक विभाग हर माह के अंतिम सप्ताह में सांसदों/विधायकों/पार्षदों से प्राप्त पत्रों के निष्पादन की समीक्षा करें तथा प्रतिवेदन संसदीय कार्य विभाग को निश्चित रूप से अगले माह के प्रथम सप्ताह तक भेज दें। इस तरह की कार्रवाई विभागाध्यक्ष एवं क्षेत्रीय पदाधिकारीगण तथा जिला कार्यालय के प्रधान भी करेंगे।

(घ) माननीय सदस्यों के द्वारा यदि मौखिक रूप से किसी विषय की जानकारी प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की जाय तो सरकार की नीति से संबंधित ऐसे मामले, जो तत्काल विचाराधीन हो अथवा जिनका उत्तर देने से कोई आश्वासन बन जाता हो, उन्हें छोड़कर अन्य सूचनाएं उन्हें विनम्रतापूर्वक दी जाय।

(च) जिलाधिकारी एवं विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय पदाधिकारी किसी विशेष मामले में यदि सरकार का आदेश प्राप्त करना आवश्यक समझे, तो संबंधित प्रशासी विभाग से यथाशीघ्र आदेश प्राप्त कर उत्तर देंगे।

अतः, अनुरोध करना है कि उपर्युक्त अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को भी निदेशित किया जाय। सरकार की स्पष्ट मंशा है कि माननीय सांसदों/विधायकों/पार्षदों के मान-सम्मान का हर हाल में ख्याल रखा जाय तथा उनसे प्राप्त पत्रों की प्राप्ति सूचना (पावती) 15 दिनों के अन्दर भेजकर अगले 15 दिनों में उनके पत्रों का उत्तर भेजा जाय। यदि किसी पदाधिकारी के द्वारा उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो उनके विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन,

मुख्य सचिव,